

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २४९४ / २०२१

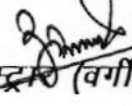
दिनांक : ०९.१२.२०२१

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

०१. दिनांक २६.११.२०२१ से २८.११.२०२१ तक ०३ दिनों का उपार्जित अवकाश ।
०२. दिनांक २९.११.२०२१ से ०१.१२.२०२१ तक ०३ दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर के पद पर ही की गई ।

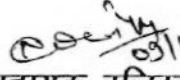
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) ०८.१२.२०२१

क्रमांक:-स्था.बी.२(४)/२२/२०१३/७१६०

दिनांक ०९.१२.२०२१

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
२. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर को उनके पत्रांक ६४ दिनांक ०२.१२.२०२१ के सन्दर्भ में ।
३. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर ।
४. विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार ०९/१२/२१